पीठासीन अधिकारी :–अनिल महला, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा:–73/2012 (26/2013) दायरा दिनांक:–31.05.2012

मघाराम पुत्र स्व. दानाराम, जाति कुम्हार, नि0 ग्राम दडीबा (बीदासर) हाल निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील बीदासर जिला चुरु।

–वादी

बनाम

01. किसन लाल पुत्र स्व. कानाराम जाति कुम्हार नि0 ग्राम दडीबा (बीदासर) हाल निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील बीदासर जिला चुरु।
02. हड़मान पुत्र स्व. पेमाराम नि0 ग्राम दडीबा (बीदासर) हाल निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील बीदासर जिला चुरु।
03. ऊंकार पुत्र स्व. पेमाराम नि0 ग्राम दडीबा (बीदासर) हाल निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील बीदासर जिला चुरु।
04. मोहन पुत्र स्व. पेमाराम नि0 ग्राम दडीबा (बीदासर) हाल निवासी ढाणी कुम्हारान तहसील बीदासर जिला चुरु।
05. जशोदा धर्मपत्नी शिवचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरु।
06. इन्द्र चन्द पुत्र स्व. शिवचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरु।
07. गौरी शंकर पुत्र स्व. शिवचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरु।
08. भंवरी पुत्री स्व. शिवचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरु।
09. इन्द्रा पुत्री स्व. शिवचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरु।
10. कंचन पुत्री स्व. शिवचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरु।
11. किरण पुत्री स्व. शिवचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरु।
12. पार्वती पुत्री स्व. शिवचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरु।
13. पूनम चन्द पुत्र स्व. सूरजमल जाति ब्राह्मण निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरु।
14. गोमती पत्नी स्व. श्रीकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरु।
15. केसरी चन्द पुत्र स्व. श्रीकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरु।
16. नारायणराम पुत्र स्व. श्रीकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरु।
17. मोहनराम पुत्र स्व. श्रीकृष्ण जाति ब्राह्मण निवासी ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर जिला चुरु।
18. सुरेश पुत्र स्व. हेमराज जाति कुम्हार निवासी दडीबा (बीदासर) तहसील बीदासर जिला चुरु।
19. मनोज पुत्र स्व. हेमराज जाति कुम्हार निवासी दडीबा (बीदासर) तहसील बीदासर जिला चुरु।
20. बाबूलाल पुत्र स्व. हेमराज जाति कुम्हार निवासी दडीबा (बीदासर) तहसील बीदासर जिला चुरु।
21. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार सुजानगढ तहसील कार्यालय सुजानगढ जिला चुरु।
22. राजस्थान सरकार जरीये उप तहसीलदार बीदासर, वर्तमान तहसीलदार तहसील कार्यालय बीदासर जिला चुरु राज.।

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

राजपैरोकरराज
प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03, 04, 14, 15 व 16 स्वयं उपस्थित।

वाद में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं:–

01. यह कि रोही चक दडीबा के खेत खसरा नं. 15 रकबा 05–01 बीघा, खसरा नं. 30 रकबा 05–14 बीघा, रोही ढढेरू भामूवान खेत खसरा नं. 409 रकबा 08–09 बीघा, खसरा नं. 305 09–02 बीघा, खसरा नं. 331 रकबा 10–06 बीघा, खसरा नं. 413 रकबा 04–07 बीघा, खसरा नं. 416 रकबा 14–18 बीघा, खसरा नं. 418 रकबा 64–10 बीघा खसरा नं. 815/415 रकबा 08–00 बीघा, ढाणी कुम्हारान के खेत खसरा नं. 23 रकबा 25–08 बीघा, खेत खसरा नं. 226 रकबा 16–04 बीघा, खसरा नं. 160 रकबा 10–16 बीघा कृषि भूमि को वादगत भूमि कहा गया है, नकल जमाबन्दियां हमराह पेश है।

02. यह कि वादगत रोही चक दडीबा के खेत खसरा नं. 15 व 30 की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के नाम दर्ज चली आ रही है। रोही ढढेरू भामूवान के खेत खसरा नं. 409 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 के नाम दर्ज चली आ रही है। रोही ढढेरू भामूवान की खेत खसरा नं. 325, 331, 413, 416, 418, की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के नाम दर्ज चली आ रही है। ढाणी कुम्हारान के खेत खसरा नं. 23, 226, की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के नाम दर्ज चली आ रही है। रोही ढाणी कुम्हारान के खेत खसरा नं. 160 की खातेदारी वादी, प्रतिवादीगण संख्या 01 एवं प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20 के नाम दर्ज चली आ रही है। ढढेरू भामूवान के खेत खसरा नं. 815/415 की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 17 के नाम दर्ज चली आ रही है। खातेदार श्योबक्स पुत्र हरनाथ कौम ब्राह्मण लावल्द फौत हो चुका है।

03. यह कि खेत रोही ढढेरू भामूवान के खसरा नं. 815/415 की कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 17 के पूर्वजों द्वार करीब 27 वर्ष पूर्व दिनांक 13.05.1985 को वादी के पिता को विक्रय कर दी थी। वादी के स्व. पिता ने संयुक्त परिवार की आय से खेत खसरा नं. 815/415 की भूमि क्रय की थी। जिसके सम्बन्ध में 13.05.1985 को एक इकरार नामा भी निष्पादित किया गया था।

04. यह कि वादगत सम्पूर्ण कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की पुश्तैनी कृषि भूमि रही है। वादी के पिता एवं प्रतिवादी गण संख्या 01 के पिता का 1/2 हिस्सा की भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग हमेशा से रहा है।

05. यह कि ढाणी कुम्हारान के खेत खसरा नं. 160 रकबा 10–16 बीघा पर कभी भी प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20 का कब्जा, काश्त, उपयोग उपभोग नहीं रहा है। खेत खसरा नं. 160 भाई बंटवारा में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 के हिस्से पांति में आया हुआ है। रोही ढढेरू भामूवान के खेत खसरा नं. 815/415 रकबा 08–00 बीघा कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 17 का कभी भी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग नहीं रहा है। खेत खसरा नं. 815/415 रकबा 08–00 बीघा वादी के हिस्सा पांति में आया हुआ है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

R.P.P.

...के नाम दर्ज हो गई। कुछ खेतों की खातेदारी वादी, प्रतिवादीगण संख्या 01 एवं प्रतिवादीगण संख्या 18 ता 20 के नाम गलत दर्ज हो गई। कुछ खेतों की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 17 के नाम राजस्व रेकॉर्ड में गलत दर्ज हो गई। खेत ढढेरु भामूवान वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमियों को मुताबिक भाई बंटवारा एवं कब्जा काश्त के आधार पर घोषणात्मक अनुतोष के माध्यम से प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 20 के नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटवाये जाने एवं जिन–जिन कृषि भूमियों पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 काबिज काश्तकार है, के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज करवाना चाहते है।

07. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 ने वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से कर रखा है। जो इस प्रकार है कि:–

खेत खसरा नं.	रोही मौजा	रकबा
	वादी मघाराम	
160	ढाणी कुम्हारान में से	03–06 बीघा
23	ढाणी कुम्हारान में से	06–10 बीघा
226	ढाणी कुम्हारान में से	03–00 बीघा
30	चक दडीबा	05–14 बीघा सम्पूर्ण
418	ढढेरू भामूवान	16–02 बीघा
815/415	ढढेरू भामूवान	08–00 बीघा सम्पूर्ण
	प्रतिवादी संख्या 01 किसनलाल	
160	ढाणी कुम्हारान में से	07–10 बीघा
23	ढाणी कुम्हारान में से	06–10 बीघा
409	ढढेरू भामूवान	08–09 बीघा सम्पूर्ण
413	ढढेरू भामूवान	04–07 बीघा सम्पूर्ण
418	ढढेरू भामूवान में से	06–03 बीघा
	प्रतिवादी संख्या 02 हडमान	
226	ढाणी कुम्हारान में से	04–08 बीघा
23	ढाणी कुम्हारान में से	04–03 बीघा
15	चक दडीबा	05–01 बीघा सम्पूर्ण
325	ढढेरू भामूवान	09–02 बीघा सम्पूर्ण
418	ढढेरू भामूवान में से	10–15 बीघा
	प्रतिवादी संख्या 03 ऊंकार	
23	ढाणी कुम्हारान में से	04–03 बीघा
226	ढाणी कुम्हारान में से	04–08 बीघा
418	ढढेरू भामूवान में से	10–15 बीघा
416	ढढेरू भामूवान में से	07–09 बीघा
331	ढढेरू भामूवान में से	05–03 बीघा
	प्रतिवादी संख्या 04 मोहनलाल	
23	ढाणी कुम्हारान में से	04–03 बीघा
226	ढाणी कुम्हारान में से	04–08 बीघा
418	ढढेरू भामूवान में से	10–15 बीघा
416	ढढेरू भामूवान में से	07–09 बीघा
331	ढढेरू भामूवान में से	05–03 बीघा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

आवश्यक हो गया कि मुताबिक कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग
विभाजन करवा लिया जावे।

यह कि वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के पूर्वजों के समय से चली आ रही है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के अलावा किसी भी खातेदार का कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग नही है। वादगत भूमि के सम्बन्ध में वादी के कब्जा मुखालफखाना प्रतिकूल (एडवर्स पजेशन) हो चुका है, इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 20 का नाम ढाणी कुम्हारान के खेत खसरा नं. 160 व खेत ढढेरू भामूवान के खसरा नं. 815/415 में से हटवाये जाने एवं उनके स्थान पर मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 का नाम राजस्व रेकॉर्ड में कानूनन दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित जो कृषि भूमियां प्रतिवादीगण संख्या 01 प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के नाम से गलत खातेदारी दर्ज चली आ रही है, को मुताबिक वादपत्र के मद संख्या 07 में वर्णितानुसार राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज करवाने का वादी कानूनी अधिकारी है।

यह कि वादगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की पुश्तैनी, संयुक्त परिवार की आय से क्रय की हुई होने एवं वादपत्र की मद संख्या 07 के मुताबिक कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग होने से वादी को वादाधार प्राप्त है।

यह कि वादी को गत वर्ष गलत खातेदारी का ज्ञान हुआ तो सम्पूर्ण कृषि भूमि की अलग–अलग पटवार क्षेत्र से राजस्व रेकॉर्ड नकूलात प्राप्त की और कई दफा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 20 से बार–बार सम्पर्क करने का प्रयास किया तो प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 एवं प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 17 मिले तो तहसील कार्यालय में जाकर राजस्व रेकॉर्ड को ठीक करवाने से इन्कार कर दिया और कहा कि प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 13 को भी राजस्व रेकॉर्ड ठीक नहीं करवाने देंगे। प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रेकॉर्ड को ठीक करवाने का निवेदन करने एवं कुछ प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर वादी को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है।

12. यह कि वादगत कृषि भूमि के भूमि धारक तहसीलदार बीदासर होने से एवं वादगत कृषि भूमि तहसीलदार बीदासर के क्षेत्र में होने से सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार बीदासर को प्रतिवादीगण संख्या 21 संयोजित किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 21 के विरुद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। फिर भी कानूनी औपचारिकताओं के निराकरण के लिए पक्षकार संयोजित किया गया है। सरकार या सरकार के प्रतिनिधि के खिलाफ घोषणात्मक अनुतोष का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो कानूनन 02 माह को नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मौसम काश्त का होने से 02 माह का नोटिस दिये जाने से विवाद बढने की संभावना है। इसलिए प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। नोटिस दिये जाने से दावे का महत्व समाप्त हो जावेगा। वादी धारा 80 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता की छूट प्राप्त कर वाद प्रस्तुत कर रहा है।

13. यह कि वादगत कृषि भूमि तहसील कार्यालय बीदासर के क्षेत्र में होने से श्रीमान जी के न्यायालय को वाद सुनने एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

14. यह कि वादी का वाद पत्र अवधि भीतर वाजिब न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 व 14 ता 16 की ओर से हरीश पांडिया एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 13 के सम्मन की तामील अखबार में साया करवाई गई व प्रतिवादीगण 17 ता 20 तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आये। प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 13 व 17 ता 20 के खिलाफ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

[illegible] 06, नकल जमाबन्दी संवत 206[illegible] [illegible] भामूवान 2065–68 प्रदर्श 09, विक्रय पत्र दिनांक 13.05.1985 प्रदर्श 10 [illegible] पेश की। प्रतिवादी संख्या 15 केशरी चन्द के बयान हुए जिन्होंने जाहिर किया कि खेत खसरा [illegible] 815/415 तादादी 08–00 बीघा वाके रोही ढढेरू भामूवान वादी के हिस्से का है इसमें हम प्रतिवादी [illegible] 14 ता 17 का लेना–देना नहीं है व प्रतिवादी संख्या 05 ता 13 बहुत वर्षों से श्री गंगानगर चले गये है। प्रतिवादी संख्या 05 ता 17 के पूर्वजों ने करीबन 27 साल पूर्व वादी व वादी के पिता को उक्त भूमि बेच दी थी तब से ही वादी व वादी के परिवार का कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। हम प्रतिवादियों ने राजीनामा पेश कर दिया है। इसी क्रम में उक्त खेत के पडौसी मोटाराम जाट ने बयान किये कि उक्त 08–00 बीघा भूमि वादी व उसके परिवार वालों का ही कब्जा–काश्त, उपयोग–उपभोग चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 05 ता 17 का नाम गलत चला आ रहा है, उन्हें इस खेत पर काश्त करते हुए कभी नहीं देखा, खेत पडौसी पिथाराम जाट ने भी उक्त बयानों की ताईद की। पत्रावली कैम्प कोर्ट ढढेरू भामूवान में दिनांक 23.06.2016 को प्रतिवादी संख्या 15 केशरी चन्द के बयान लेखबद्ध किये व वादी मघाराम के बयान हुए। दावे के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 13.05.1985 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जो कि प्रदर्श 10 है। पत्रावली दिनांक 30.06.2016 को कैम्प कोर्ट/मेगा लोक अदालत में पेश हुई। बहस वकील वादी सुनी गयी। सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजों, प्रदर्श, वादी के साक्ष्य व प्रतिवादी के साक्ष्य खेत पडौसी के बयानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खसरा नम्बर 815/415 वाके रोही ढढेरू भामूवान रकबा 08–00 में वादी 1/3 हिस्से के खातेदारी अधिकार रखता है। मौके पर सम्पूर्ण 08–00 बीघा पर वादी का ही कब्जा–काश्त, गवाहों के बयानात व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से वादी का होना जाहिर करता है। इस बाबत कुछ खातेदारों द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा भी पेश किया गया है। सम्पूर्ण प्रकरण को अवलोकन करने पर पुराना कब्जा तो साबित होता है परन्तु खसरा नं. 815/415 का शेष 2/3 हिस्सा अन्तरण किया जाना प्रतीत हो रहा है ऐसे में तहसीलदासर बीदासर को खसरा नं. 815/415 रकबा 08–00 बीघा के 2/3 हिस्से की स्टाम्प ड्यूटी जमा कर पालना हेतु लिखा गया। पालना अनुसार वादी ने सम्पूर्ण उचित स्टाम्प ड्यूटी 14660/– रू जरीये चालान जमा करवाये। जिसकी चालान रसीद व उप पंजीयक बीदासर का पत्र क्रमांक 817 दिनांक 09.08.2016 का इस न्यायालय में दिनांक 11.08.2016 को पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 30.08.2016 को पुनः मजीद बहस सुनी गयी। पत्रावली के अवलोकन, गवाहों के बयानात, राजीनामा व दस्तावेजी साक्ष्य आदि के आधार पर उक्त खसरे की 2/3 भूमि वादी के नाम घोषित की जानी उचित प्रतीत होती है।

–: आदेशः–

वादगत भूमि ग्राम ढढेरू भामूवान तहसील बीदासर के खेत खसरा नं. 815/415 रकबा 8–00 बीघा के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड से प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 17 का नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादी के नाम 1/3 भूमि पूर्व से ही दर्ज है शेष 2/3 हिस्सा भी वादी के नाम दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 21 व 22 को आदेशित किया जाता है कि अनुतोष की पालना करके राजस्व रेकॉर्ड में वादी के नाम खातेदारी दर्ज कर अलग से लगान कायम किया जावे। तदनुसार

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

[illegible] वहन करें।

[illegible] दिनांक 30.08.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर